विज्ञप्ति

पशुपालन विभाग द्वारा बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर आकस्मिक एवं चलित पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों की आवश्यकता है।

एक ही ग्राम पंचायत से एक से अधिक उम्मीदवारो के आवेदन प्राप्त होने पर अधिक योग्यता वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।

चयन हेतु आवश्यक नियम व शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.mpdah.gov.in एवं कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला बड़वानी पर उपलब्ध है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ बड़वानी में दिनांक 29.05.2017 को सायंकाल 5.30 बजे तक व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

(डॉ.आर.के.रोकड़े)
संचालक
पशुपालन, म.प्र.

आवेदन – पत्र

1 आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम..

3. आवेदक का पता ....

....

4. ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड का नाम जहॉ सेवाएँ देना चाहते है...

....

5. मोबाईल कमांक ....

6. ई–मेल...

7. आवेदक की श्रेणी...

(स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमाधारी)

8. संस्था का नाम जहॉ से आवेदक द्वारा आवश्यक योग्यता प्राप्त की है..................................

....

9. योग्यता के संबंध में आवश्यक अभिलेख ....

(अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।

आवेदक के हस्ताक्षर

अभिवचन

1. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तो/नियम तथा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं इनसे सहमत हूँ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुकमांक 1 से लेकर 8 तक की जानकारी सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्ते :–

1. आवेदक के पास 5.5 इन्च स्क्रीन साइज का एन्ड्राईड मोबाइल आवश्यक है जिसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा विभाग द्वारा मात्र सिम उपलब्ध कराई जाएगी।

2. कॉल सेंटर से सूचना प्राप्त होते ही स्थल पर पहुँच कर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करानी होंगी।

3. जिले के उपसंचालक द्वारा परिचय पत्र जारी किया जाएगा। परिचय पत्र रखना आवश्यक होगा।

4. औषधि एवं उपकरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी, जिसका उपयोग करते हुए वितरित की गई औषधि एवं टीकाद्रव्य की जानकारी प्रति माह उपसंचालक को प्रेषित करना होगी।

5. औषधि एवं टीकाद्रव्य प्राप्ति एवं प्रदाय की पंजी संधारित करना होगी जिसका सत्यापन उपसंचालक द्वारा प्रति सप्ताह किया जाएगा।

6. जिन हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उनका रिकार्ड रखना होगा, जैसे पशुपालक का नाम/पशु प्रकार/पशु की उम्र/ब्रीड/बीमारी/किया गया उपचार आदि। उक्त रिकार्ड का निरीक्षण समय–समय पर उपसंचालक द्वारा किया जाएगा।

7. जिन हितग्राहियों से सेवा शुल्क लिया जाएगा उन्हें शुल्क की प्राप्ति रसीद प्रदाय करना होगी। रसीद छपाई का व्यय स्वयं आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा।

8. निर्धारित सेवाएं प्रतिदिन 24 घंटे प्रदान करना होगी ।

9. चयनित उम्मीदवार कम से कम 01 माह का नोटिस देकर अपनी सेवायें समाप्त कर सकते है।

10. जिला उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर आवेदक की सेवाएँ समाप्त कर सकता है।

11. आवेदक को ग्राम पंचायत (जहॉ के लिए आवेदन दिया गया है) स्तर पर मुख्यालय बनाकर निवास करना आवश्यक होगा।

12. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार मानदेय अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

13. आवेदक की सेवाएँ पूर्णतः अस्थाई प्रकृति की होगी।

14. आवेदक के पास अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण करने हेतु वाहन का होना आवश्यक होगा।

15. आवेदक किसी भी प्रकार के वैधानिक कार्य जैसे शव परीक्षण, मेडिकोलीगल प्रकरण, विभागीय योजनाओं अंतर्गत किए जा रहे बीमा हेतु स्वास्थ्य प्रकरण जारी करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में वह तुरंत निकटस्थ्य विकासखण्ड स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करेगा।

16. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सिम के दुरूपयोग करने पर होने वाली कार्यवाही के लिए आवेदक स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

17. पशु उपचार परामर्श हेतु तैयार किए गए विभागीय साफ्टवेयर के संचालन का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाएगा तथा उक्त प्रशिक्षण में आवेदक का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

18. आवेदक के कार्यक्षेत्र में आयोजित विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में आवेदक की सहभागिता एवं सहयोग आवश्यक होगा जिस हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. उपरोक्त नियम एवं शर्तो में परिवर्तन का अधिकार संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश को रहेगा।

20. अनुबंध करते समय अन्य आवश्यक नियम समाहित करने का अधिकार संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश को रहेगा।

संचालक
पशुपालन मध्यप्रदेश

घोषणा

मेरे द्वारा समस्त नियम शर्तो का अध्यन कर लिया गया है तथा मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....................................